प्रदर्श स

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला वन अधिकार समिति धमतरी जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

प्रमाण–पत्र

क्रमांक 33 / वाचक / कलेक्टर / 2016 धमतरी, दिनांक 20 / 01 / 2016

कार्यपालन अभियंता, सिविल मुख्यालय संभाग छ0ग0 राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर को 132 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु धमतरी जिला स्थित तहसील नगरी के ग्राम चमेदा प.ह.न. 08/15 की बड़े झाड़ जंगल मद की राजस्व वन भूमि ख.न. 07 का भाग रकबा 1.41 हेक्टेयर एवं ख.न. 06 का भाग रकबा 0.16 हेक्टेयर कुल रकबा 1.57 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :–

1. प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत, संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की बड़े झाड़ जंगल मद की राजस्व वन भूमि 1.57 हेक्ट0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चमेदा तहसील नगरी में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 07.10.2015 (प्रदर्श–ब) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–अ) पर दर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव चमेदा ग्राम के सरपंच श्री मुनेन कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 07.10.2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्रामसभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थें जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको क संख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	–	–	–

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है, कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.01.2016 एवं 07.10.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्त जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वनभूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 15.01.2016 एवं ग्राम सभा के दिनांक 07.10.2015 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वनभूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
जिला धमतरी